न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **380/2025** दायर दिनाँक **13.11.2025**

वादी		प्रतियादी
1.रेखाराम पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी लादडिया तहसील मौलासर जिला डीडवाना —कुचामन 2.बिरमाराम पुत्र लिछमण राम जाति जाट निवासी लादडिया तहसील मौलासर जिला डीडवाना—कुचामन	बनाम्	1. तहसीलदार मौलासर

राजस्व—वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

श्री तेजपाल पुरी एडवोकेट वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **13.02.2026**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण दोनो सगे भाई जिनकी संयुक्त खातेदारीसुदा खेत खसरा संख्या 482, 483, 484 रकबा 3.4800 है. शरहद राजस्व ग्राम लादडिया पटवार हल्का लादडिया में अवस्थित है। जो कि वादीगण ने पूर्व में खरीद की थी उक्त भूमि खरीद करने पर वादीगण के नाम नामान्तकरण अंकित हो गया है। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन के द्वारा नये परिसिमन बनाएं गए है जब वादीगण ने दिनांक 05.02.2025 को अपने उक्त खेताय की नकल प्राप्त की तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि उक्त नये परिसिमन में वादीगण के खेत खसरा संख्या 482, 483, 484 रकबा 3.4800 है. सरहद लादडिया में भु राजस्व अधिकारी व पटवारी की लापरवाही व कोतहाई के चलते उक्त खेत के नक्शें में बडा बदलाव करते हुए उक्त खेत की उतरी सिंव को वादीगण के खेत में मोड या घुमाव डाल दिया था उक्त नक्शे के फेर बदल से वादीगण की भूमि का क्षेत्रफल भी कम हो गया है जिससे वादी को भारी आर्थीक नुकसान उठाना पड रहा है जिसकी पूर्ति होना भी संभव नहीं है। अतः वादीगण के खेत कि खातेदारी के नक्शे को दुरस्त किया जाना कानूनी रूप से विधि सम्मत् आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः—

मौजा ग्राम लादडिया पटवार हल्का लादडिया के खेत खसरा नम्बर 482, 483, 484 रकबा 3.4800 कि खातेदारी के परिसिमन के दौरान अंकित गलत नक्शे को दुरूस्त करवाकर सही नक्शा दर्ज किये जाने का निर्णय फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया [illegible]लदार मौलासर के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1417 दिनांक [illegible] प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस [illegible] गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी ग्राम लादडिया पटवार हल्का लादडिया के खेत

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खसरा नम्बर 482, 483, 484 रकबा 3.4800 कि खातेदारी के परिसिमन के दौरान अंकित गलत नक्शे को दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम लादडिया के पूराना खसरा नम्बर 167 में से खरीदशुदा भूमि का नामान्तकरण संख्या 554 दिनांक 05.07.1993 के जरिये खसरा नम्बर 167/2 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा दर्ज हुआ जिसकी तरमीम पुस्त पर मौका अनुसार सही थी। खसरा नम्बर 167/2 पुराना जिसका बैचान हीराराम तुलछाराम पि. लिछमणराम जाट खातेदारी दर्ज हो गई। खसरा नम्बर 167/2 पुराना जिसके नये खसरा नम्बर 482, 483, 484 बने जिनका नक्शा उतरी सीमा मौका अनुसार सही नहीं है। वतमान में खसरा नम्बर 482, 483, मौकानुसार सही है। खसरा नम्बर 484 के तीन भाग वर्तमान नक्शा अनुसार जो मौकाअनुसार तरमीम सही नहीं है। खसरा नम्बर 484 के दो भाग 1780/484 व 1701/484 की उतरी सीमा की तरमीम पुराने नामाकी पुस्त व मौकाअनुसार दर्शित नक्शा अनुसार संशोधन किया जाना उचित है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड के नक्शे में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

मौजा ग्राम लादडिया पटवार हल्का लादडिया भू.अ.नि. निमोद तहसील मौलासर जिला डीडवाना—कुचामन के खेत खसरा नम्बर 482, 483, 484 कुल रकबा 3.4800 हैक्टेयर भूमि का राजस्व नक्शा तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2025/1417 दिनांक 18.12.2025 में प्रस्तुत नक्शे अनुसार दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2025/1417 दिनांक 18.12.2025 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **13.02.2026** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested